न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–2, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–558 / 2026
सत्र उत्पाद वाद सं0–274 / 2024
राघोपुर थाना कांड संख्या–10 / 2024
केदार यादव
बनाम्
बिहार सरकार

दिनांक 08 / 05 / 2026

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक–अभियुक्त, केदार यादव की ओर से दाखिल किया गया है, जो राघोपुर थाना कांड संख्या–10 / 2024, अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं आवेदन दाखिल किया गया। प्रस्तुत वाद इसी न्यायालय में लंबित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक–अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक–अभियुक्त के तरफ से इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में जप्त शराब से प्रार्थी को कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। आवेदक–अभियुक्त प्रस्तुत वाद में जप्त वाहन हाईवा का वैध स्वामी है, जिस कारण पुलिस द्वारा प्रार्थी आवेदक को नाहक झूठा फंसाया गया है। आवेदक–अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक–अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन खारिज करने की मांग करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक, रजनीश कुमार केशरी, राघोपुर थानाध्यक्ष के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध राघोपुर थाना कांड संख्या–10 / 2024, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम–2022 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सूचक ने अपने टंकित आवेदन में कहा है कि दिनांक 09.01.2024 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शराब माफिया 1. दुर्गा चौधरी 2. संजीव यादव 3. बालकुमार चौधरी 4. रामविलास यादव 5. मनोज यादव 6. संजीत चौधरी 7. जय प्रकाश उर्फ प्रकाश चौधरी सभी मिलकर ग्राम–कोरियापट्टी स्थित सरकारी अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई डबलु0पी0यू0 के पास हाईवा ट्रक से शराब, पीकअप एवं चार चक्का गाड़ी पर अनलोड कर रहा है। सूचक सरकारी अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई डबलु0पी0यू0 के पास पहुॅचा तो देखा कि सरकारी अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई डबलु0पी0यू0 के बॉये स्थित कच्ची सड़क पर एक हाईवा ट्रक लगा हुआ है तथा उसके आगे दो पीकअप गाड़ी, एक बोलेरो गाड़ी तथा एक सुप्रो मैक्सी टी002 गाड़ी लगा हुआ है तथा कुछ व्यक्ति हाईवा ट्रक से कार्टून उतारकर पीकअप गाड़ी पर रख रहा है तथा छः–सात व्यक्ति पीकअप एवं वहॉ खड़ी अन्य गाड़ी के पास खड़ा था जो सभी व्यक्ति पुलिस वहाने को देखकर पश्चिम दिशा तिलावे धार की ओर भागने लगा, जिसमे से एक व्यक्ति को पुलिस बल के सहयोग से वहीं बोलेरो गाड़ी के पास

लगातार

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–558 / 2026
सत्र वाद उत्पाद संख्या–274 / 2024
केदार यादव
बनाम्
बिहार सरकार

लगातार
08.05.2026

पकड़ा तथा अन्य वक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी खेत एवं तिलावेधार का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दुर्गा चौधरी बताया। सरकारी अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई डबलु0पी0यू0 के सटे बॉये स्थित कच्ची सड़क पर खड़ा 1. हाईवा ट्रक रजि0 नं0–जे0एच0–10 सी0के0–1676 2. महिन्द्रा कंपनी का बोलेरो गाड़ी रजि0 नं0–बी0आर0–31पी0ए0–5480 3. टाटा आर0एक्स0 पीकअप रजि0 नं0–बीर0आर0–11एस0–0637 4. बोलेरो पीकअप गाड़ी रजि0 नं0–11जी0ई0–2958 एवं 5. सुप्रो मैक्सी टी02 गाड़ी बिना रजि0 नम्बर का विधिवत बारी–बारी से तलाशी लिया तो 1. हाईवा ट्रक रजि0 नं0–जे0एच0–10सी0के0–1676 के डाला से विभिन्न ब्रांड का कुल मात्रा–22 लीटर 500 एम0एल0 2. महिन्द्रा कंपनी का बोलेरो गाड़ी रजि0 नं0–बी0आर0–31पी0ए0–5480 से विभिन्न ब्रांड का कुल मात्रा–60 लीटर 480 एम0एल0 3. टाटा आर0एक्स0 पीकअप रजि0 नं0–बीर0आर0–11एस0–0637 से कुल मात्रा–756 लीटर 4. बोलेरो पीकअप गाड़ी रजि0 नं0–11जी0ई0– 2958 से कुल मात्रा–126 लीटर एवं 5. सुप्रो मैक्सी टी02 गाड़ी बिना रजि0 नम्बर से कुल मात्रा–153 लीटर बरामद हुआ। सभी मिलाकर कुल मात्रा–1984 लीटर 230 एम0एल0 बिदेशी शराब बरामद हुआ है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक–अभियुक्त काण्ड में जप्त हाईवा ट्रक रजि0 नं0–जे0एच0–10सी0के0–1676 का स्वामी है, तथा कांड में जप्त पॉच वाहन से कुल मात्रा–1984 लीटर 230 एम0एल0 बिदेशी शराब बरामद हुआ है। अग्रिम जमानत आवेदन के साथ काण्ड में जप्त वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति दाखिल की गई है, जिसकी मूलप्रति सुनवाई के दौरान न्यायालय को अवलोकनार्थ समर्पित की गई, जिसके अनुसार जप्त हाईवा ट्रक रजि0 नं0–जे0एच0–10सी0के0–1676 का स्वामी आवेदक–अभियुक्त केदार यादव है। कांड दैनिकी की कण्डिका–67 के अनुसार भी जप्त हाईवा ट्रक रजि0 नं0–जे0एच0–10सी0के0–1676 का स्वामी आवेदक–अभियुक्त केदार यादव ही है। अतः आवेदक के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है। काण्ड में आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस कांड में कुल कुल मात्रा–1984 लीटर 230 एम0एल0 बिदेशी शराब बरामद होने के कारण आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ना न्यायसंगत और उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक–अभियुक्त, केदार यादव का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

प्रभारी, अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद)
न्यायालय संख्या–02, सुपौल।
08.05.2026